राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

चार थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा

जयपुर, 13 सितम्बर। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त उत्तर प्रथम श्री समीर कुमार ने आदेश जारी कर बताया कि जिला जयपुर उत्तर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 19.07.2017 की रात्रि से ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू है। दिनांक 08.09. 2017 को रामगंज थाना क्षेत्र व आस–पास के ईलाके में समुदाय विशेष द्वारा पुलिस पर पथराव, आगजनी की घटनाएं घटित की गयी है। जिसके पश्चात पुलिस के विरूद्व अफवायें फैलाई जाकर लोगों को हिंसा के लिये उत्प्रेरित करते हुये कानून व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है एवं साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडने का प्रयास किया जा रहा है। इस आसन्न एवं गम्भीर परिस्थितियों में तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवययक है। जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने के साथ विधि पूर्वक नियोजित व्यक्तियों के कार्यों में बाधा एवं आम जन की जानमाल व सुरक्षा का खतरा पैदा होने की सम्भावना है।

अतः उक्त परिस्थितियों में थाना रामगंज, गलतागेट, माणकचौक एवं सुभाषचौक में लोक व्यवस्था व परिशान्ति को कायम रखने हेतु एवं आमजन जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये धारा 144 द.प्र.स. में प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आज दिनांक 13.09.2017 के 04.00 ए.एम से 24 घण्टे तक इस आशय की निषेधाज्ञा थाना रामगंज, गलतागेट, माणकचौक सुभाषचौक की सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुमति पत्र के घर से बाहर नहीं निकलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ एवं अस्त्र–शस्त्र ना तो कब्जे में रखेगा, ना ही प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला काई कृत्य नहीं करेगा।

इस बाबत अपेक्षित शिथिलता हेतु अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त उत्तर प्रथम ही वैध अनुमति पत्र जारी करने हेतु अधिकृत होगा। उक्त आदेश कानून व्यवस्था सम्बन्धी लगे अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं पुलिस अधिकारियों/पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। आपात स्थिति को देखते हुये इस आदेश की व्यक्तिशः तामील करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त निषेधाज्ञा की पालना के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से सूचना व नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी करवायी जावे तथा स्थानीय समाचार पत्रों व प्रचार प्रसार से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावें। इस आदेश का उल्लघंन करने पर भा.द.सं. की धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।